न्यायालय जिला कलक्टर (मध्यस्थता अधिकारी) बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.91 / प्रा.पत्र / 2022 (GCMS No. 2022 / 166)	17.08.2022	18.02.2025

श्रीमती संतरा बाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा,
निवासी बिशनपुरा, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

– प्रार्थिया

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली द्वारा
   प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्लीमेन्टेशन यूनिट हाईवे ऑथोरिटी इण्डिया
   मकान नं. 12 श्याम सरोवर पटेल नगर, पालमपुरा (राज.)
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी,
   लाखेरी जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित–
प्रार्थिया की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा बून्दी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि ग्राम बिशनपुरा, तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा संख्या 91 रकबा 2.17 हैक्टेयर बाबत पारित अवार्ड से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया द्वारा उसे आवंटित भूमि खसरा संख्या 294 / 91 का मुआवजा दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 91/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/166 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 28.06.23 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 91 रकबा 2.17 हैक्टेयर वाके ग्राम बिशनपुरा में से 1.00 हैक्टेयर भूमि दिनांक 05.07.2002 को राज्य सरकार के आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रार्थीया संतरा बाई पत्नी बाबूलाल को आवंटन किया जाकर कब्जा प्रदान किया गया था, तब से आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में प्रार्थीया के पति बाबूलाल का देहान्त हो चुका है। प्रार्थीया उक्त भूमि पर विधिवत रूप से काबिज है। प्रार्थीया की ओर से भूमि आवंटन की समस्त शर्तो की पूर्ति की जा चुकी है। किन्तु राजस्व कर्मियों की त्रुटि की वजह से उक्त भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 78 में प्रार्थीया का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के राजस्थान राज्य में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत भूमि खसरा संख्या 91 का रकबा 1.17 हैक्टेयर अवाप्त किया गया है। चूंकि खसरा सं.91 का मूल रकबा 2.17 हैक्टेयर था जिसमें से 1.00 हैक्टेयर भूमि अन्य आवंटन आदेश से अन्य को आवंटित हो चुकी है, वह भी अवाप्त की जाकर उसका नियमानुसार मुआवजा आवंटियों के पक्ष में दिया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन के लिए ग्राम बिशनपुरा की खसरा सं. 91 की 1.17 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज होने से मुआवजा नहीं दिया गया। इस पर प्रार्थीया ने मुआवजा भू अवाप्ति अधिकारी को आवंटन आदेश एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया, किन्तु प्रार्थीया को आज तक उसकी अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। परियोजना के नक्शें के अनुसार नक्शें में इंगित किये गये लाल बिन्दुओं के मध्य के समस्त खसरा नम्बरान अवाप्त किये गये है जिसका प्रमाणिकरण उक्त नक्शें पर हल्का पटवारी, तहसीलदार इन्द्रगढ, उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में मूल खसरा सं. 91 की सम्पूर्ण भूमि अवाप्त की किया जाना प्रमाणित है। इसके बावजूद अवाप्त की जा चुकी प्रार्थीया को आवंटित भूमि वर्तमान खसरा नं.294/91 को अन्य भूमि ख.सं. 295/91 रकबा 0.17 हैक्टेयर के साथ सरकारी भूमि मानकर मुआवजा नहीं दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने का अवार्ड प्रदान करने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली–बडोदरा के निर्माण हेतु लोक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण करने बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3(क) की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा धारा 3–ए के नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक 05.09.2018 के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाकर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई। जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 जारी की गयी। धारा 3–डी(1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3(जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये परिसम्पत्ति का मूल्यांकन, सत्यापन कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान आगे कथन किया कि ग्राम बिशनपुरा की आराजी खसरा सं.91 किस्म बंजर रकबा 1.17 हैक्टेयर राजस्थान सरकार के खाते दर्ज है। उक्त अवाप्तशुदा राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.1(4) राज–6/2001/पार्ट/022 दिनांक 28.04.2016 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु लोकहित में निःशुल्क आवंटन की गयी है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रकिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है, जो विधिसम्मत एवं उचित है। इस प्रकार अवाप्तशुदा भूमि की जो मुआवजा राशि अधिनिर्णय आदेश कमांक 1011 दिनांक 19.06.219 के द्वारा निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार हितबद्ध व्यक्ति के नाम निर्धारित की गई है। ऐसे में प्रार्थीया उक्त भूमि बाबत नियमानुसार कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा उक्त मद में अवाप्त की गई भूमि के स्वामित्व का प्रश्न उठाया है। जिसको निर्णित करने का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीया यहां चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम पेश किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडौदरा निर्माण में ग्राम बिशनपुरा की अवाप्त की गई भूमि खसरा संख्या 91 बाबत पेश किया जाकर उक्त भूमि में से 1.00 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की आवंटनशुदा भूमि होने के बावजूद भी उक्त भूमि को सरकारी भूमि मानकर उसका मुआवजा प्रार्थीया को नहीं दिया गया, जो प्रार्थीया को दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

इस संबंध में पत्रावली पर दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बिशनपुरा की आराजी खसरा संख्या 91 रकबा 2.17 हैक्टेयर किस्म बंजड राजकीय सिवायचक भूमि थी। आवंटन आदेश दिनांक 05.07.2002 से उक्त भूमि खसरा संख्या 91 में से 1.00 हैक्टेयर भूमि संतरा बाई पत्नी बाबूलाल मीणा निवासी ग्राम बिशनपुरा को आवंटित की गई थी। जिसके संबंध में हल्का पटवारी द्वारा दर्ज नामान्तरकरण सं. 49 आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होने एवं आवंटन आदेश संलग्न नहीं होने से नायब तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा खारिज किया गया। भूमि अवाप्ति कार्यवाही के दौरान धारा 3–ए के नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक 05.09.2018 को उक्त भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडौदरा निर्माण के दौरान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि होने से राज्यसरकार के परिपत्र दिनांक 28.04.2016 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु लोकहित में निःशुल्क आवंटन की गयी है, इस कारण उक्त अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि ''शून्य'' रही। जहां तक उक्त भूमि अप्रार्थीया की गैर खातेदारी की भूमि होने से उसको मुआवजा दिलाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में ''National Highway Act 1956 की धारा 3-G (5) में उल्लेखित है कि If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties,

जिला कलेक्टर, बूंदी

be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government." विधि के उक्त प्रावधान के अनुसार यह न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम या ज्यादा के संदर्भ में ही आदेश पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसे में हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 में प्रार्थीया यहां कोई राहत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा उसके खाते की अवाप्त भूमि के अवार्ड में मुआवजा राशि कम होने को चुनौती नहीं दी गई है, अपितु प्रार्थीया द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि खसरा सं. 91 में उसका स्वामित्व निहित होना मानते हुये उक्त भूमि का नये सिरे से मुआवजा तय किया जाकर प्रार्थीया को भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि पर स्वामित्व या किसी अन्य विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया यहां पोषणीय नहीं है। ऐसे में प्रार्थीया द्वारा अन्तर्गत धारा 3(जी)5 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखागार में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी